रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2015/ज्येष्ठ 11, 1937
No. 201] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2015/JYAISTHA 11, 1937

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2015

सं. 8/(1)/99/के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम 1999 के विनियम 11 के साथ पठित विनियम 110 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश बनाता हैः

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः**

(i) इस आदेश का नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) आदेश, 2015 है।

(ii) यह आदेश 24.7.2015 से प्रवृत्त होगा।

(iii) यह आदेश आयोग की मुहर के संबंध में, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) आदेश, 1999 का उपांतरण करेगा।

2. **आयोग की मुहर :**

(i) आयोग की मुहर निम्नानुसार होगीः

के वि वि आयोग
CERC

(ii) आयोग की मुहर को आयोग के लोगो के रूप में भी प्रयुक्त किया जाएगा।

(iii) मुहर/लोगो को आयोग के पत्रशीर्ष, वेबसाइट, प्रकाशनों, संकेत चिह्न, मुहर, लिफाफा, बैनरों, परिचय कार्ड, बैजों, स्मृति चिह्नों, स्मारिका आदि के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

शुभा शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./150/91/15]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2015

No. 8/(1)/99/CERC.—In exercise of the powers conferred under Regulation 110 read with Regulation 11 of the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999 as amended from time to time and all other powers enabling on this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following order:-

1. Short title and commencement

(i) This order shall be called the Central Electricity Regulatory Commission (Miscellaneous Provisions) Order, 2015.

(ii) This order shall come into force with effect from 24.7.2015.

(iii) This order shall modify the Central Electricity Regulatory Commission (Miscellaneous Provisions) Order, 1999 in relation to seal of the Commission.

2. Seal of the Commission

(i) The seal of the Commission shall be as under:-



(ii) The seal of the Commission shall also be used as the logo of the Commission.

(iii) The seal/logo shall be used on the Commission's letter head, website, publications, signage, stamp, envelope, banners, visiting cards, badges, memento, souvenir etc.

SHUBHA SARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./150/91/15]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.